फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूसिंह **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्याः 215/2018**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.04.2019 पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपेरोकार की मजिद बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रर्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ.के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थना ग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होना बताया है। आराजी नम्बर 427 रकबा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में आ.चा. दर्ज है जबकि मौके पर कोई कुआ नही है। जबकि आ.न. 428 रकबा 8 बिस्वा भूमि के पूर्वी भाग में कुआ है जिसका सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में भी कुआ निर्माणाधीन होने की टिप्पणी की गई है। राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मंभी आ.न. 428 में आ.चा. दर्शाया हुआ है। लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना आधार के आ.न. 427 किस्म आ.चा. अंकन कर दिया है जबकि अंकन आ.न. 428 पर करना था। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत जवाब व पटवारी के मौका रिपोर्ट में आ. न. 428 के 1 विस्वा पर कुआ मौके पर होना बताया है तथा आ.न. 427 पर मौके पर कुआ नहीं होने का कथन किया है। प्रार्थना ग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिसमें पटवारी हल्का बोयणा की रिपोर्ट के अवलोकन से मौके पर आ.न. 427 में किसी प्रकार का कुआ नहीं होने की बात कही है, एवं कुआ जो उक्त भूमि में बना हुआ है वह आ.न. 428 में है। आ.न. 427 में कुआ होने एवं नष्ट होने के भी कोई प्रमाण नहीं होना का कथन अपनी रिपोर्ट में किया है। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रार्थना ग्रस्त भूमि में कुआ 428 में निर्माणाधिन तथा जिसे सेटलमेन्ट के दौरान भुलवश आ.न. 427 का अंकन हो गया है जिस कारण वर्तमान में कुआ काइ इन्द्राज रेकार्ड में आ. न. 427 में चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थी को परशानी का सामना करना पड रहा है। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर प्रार्थी का प्रर्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आ.न. 427 रकबा 1 बिस्वा भूमि में किस्म कुआ का अंकन हटाया जाकर आ. न. 428 पर कुआ का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा में किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मोहन सिंह) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	